स्पीड पोस्ट से

फा0 सं0 16/01/2014--न्यायिक एकक (पार्ट 3)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
न्यायिक प्रभाग

चौथा तल, एन0डी0सी0सी-- II भवन
जय सिंह रोड, नई दिल्ली -- 110001
दिनांक: सितम्बर 2014

सेवा में,

श्री सुरेन्द्र कोली,
पुत्र स्व0 शंकर राय
द्वारा--जेल अधीक्षक,
जिला कारागार
गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश

विषयः सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन पत्र ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके दिनांक 30.06.2014 के आवेदन पत्र, जो कि इस मंत्रालय के न्यायिक प्रभाग में दिनांक 12.08.2014 को उत्तर प्रदेश शासन के मार्फत प्राप्त किया गया है, का संदर्भ लेते हुए यह सूचित करना है कि महामहिम राष्ट्रपति का निर्णय एव गृह मंत्रालय की संस्तुति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 (2) के अन्तर्गत प्रकटन से छूट प्राप्त है अतः इसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रकट नहीं किया जा सकता । यद्यपि गृह मंत्रालय एवं उत्तर प्रदेश शासन के बीच हुए पत्राचार की प्रतियाँ उपलब्ध करायी जा सकती हैं और यह इस पत्र के साथ उपलब्ध करायी जा रही है।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के संबंध मे श्री कुमार आलोक, संयुक्त सचिव (समन्वय एवं लोक शिकायत), गृह मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (दूरभाष 23092392) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है ।

5/9/14

(जय प्रकाश अग्रवाल)
संयुक्त सचिव (न्यायिक) एवं के0लो0सू0अ0
दूरभाषः 23438113

संलग्नकः यथोपरि (6 पृष्ठ)

Copy to:

- SO (IT), MHA, North Block, New Delhi with a copy of RTI application for uploading the same in the ministry's website under heading "information under section 4(1) (b) of RTI Act".